कालेधन वालों, तस्करों, जमाखोरों व पूंजीपतियों की यह सरकार.....

—रामनरेश सिंह

असली वेतन में कमी

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय में श्रमिकों और मध्यम वर्ग के कर्मचारियों का भाग घटता जा रहा है। वेतन का भाग १९४९ में ६५ प्रतिशत से घटकर १९६९ में ५३.३ प्रतिशत रह गया तथा पारिश्रमिक ५३.३ प्रतिशत से घटकर ३४.६ प्रतिशत रह गया। साथ ही लाभ की दर निरन्तर बढ़ती रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार श्रमिकों की वास्तविक आय १९६५–६६ से १९७०–७१ तक ३०.८ प्रतिशत से घट कर २९ प्रतिशत रह गयी, जबकि सम्पत्तिवालों का भाग इसी काल में ६९.२% से बढ़ कर ७१ प्रतिशत हो गया। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार आज से २० वर्ष पहले जो वेतन ५०% मिलता था, वह क्रमशः कम होते-होते आज ३८:७ प्रतिशत रह गया है। तात्पर्य यह कि मंहगाई भत्ते कर्मचारियों की वास्तविक आय में कटौती के प्रभाव को दूर करने में निरन्तर असफल रहे हैं।

बेतहाशा इक्साइज ड्यूटी

सुगर के कर्मचारी को उत्पादन का ४.४ प्रतिशत वेतन में मिलता है, किन्तु इक्साइज ड्यूटी ३६.९ प्रतिशत चुकता करना पड़ता है। इसी प्रकार सीमेन्ट में ४.४ प्रतिशत वेतन एवं इक्साइज ड्यूटी २१.५ प्रतिशत, आइरन व स्टील में १०.९ प्रतिशत वेतन एवं इक्साइज ड्यूटी १४.५ प्रतिशत, सिगार एवं सिगरेट मे ३.१ प्रतिशत वेतन एवं इक्साइज ड्यूटी ४९.९ प्रतिशत, टेक्सटाइल में १३.२ प्रतिशत वेतन एवं इक्साइज ड्यूटी १३.९ प्रतिशत तथा मेटल में ८.४ प्रतिशत वेतन में मिलता है, किन्तु इक्साइज ड्यूटी २८.३ प्रतिशत देना पड़ता है। क्या चीजों के भाव कर्मचारियों के वेतन के कारण बढ़

रहे हैं अथवा सरकारी टैक्स के कारण ? पैसा कौन ले जा रहा है—कर्मचारी या सरकार ? उद्योगपतियों को मूल्य बढ़ाने हेतु किसने छूट दे रखा है ।

वेतन में कमी

तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एक चपरासी सन् १९६० में १०० पा रहा था तो वह सन् १९७२ में १०५, जूनियर क्लर्क १०० पा रहा था—वह ९१, सीनियर क्लर्क १०० पा रहा था—वह ८२ तथा असिसटेन्ट १०० पा रहा था—वह ७८ प्राप्त कर रहा है ।

रुपये की कीमत

रुपये की कीमत १९४९ में १०० पैसे थी, १९५० में ९९, १९६० में ८०, १९७० में ४४, सितम्बर ७३ में ३६ तथा मई ७४ में २८ पैसे रह गई ।

उत्पादन में वृद्धि

उत्पादन में वृद्धि के भी आंकड़े सामने हैं—रेलवे में सन् १९५०–५१ में १२२,००० ट्रैफिक यूनिट्स था, वही सन् १९७२–७३ में २,००,००० ट्रैफिक यूनिट्स है । इसी प्रकार सन् १९५० में जूट का प्रति मजदूर २.५ टन उत्पादन हुआ था—१९७१ में ५ टन, कोयले का १९५१ में ०.३५ टन—१९७१ में ०.६९ टन तथा चाय का २७८ किलो—१९७१ में ४२५ किलो प्रति मजदूर की दर से उत्पादन हुआ है । विदेशी होटलों में भारत का बासमती चावल इफरात परोसा जाता है । रूस में भारतीय चीनी ७० पैसे किलो बिकती है, यहाँ ६ रुपये किलो चीनी नहीं मिलती । विदेशों में हम अपनी चीनी को ४२ पैसे प्रति किलो के भाव बेचते हैं । संसार के बाजार में हमारे श्रम को मुफ्त में बेचा जाता है ।

मूल्यों में वृद्धि

थोक भावों में जो वृद्धि का दर रहा है, वह निम्नांकित है— १९६१–६२ में १०० अंक, १९६५–६६ में १३७, १९६९–७० में १७५, १९७२–७३ में २०८.५, जनवरी ७३ में २१३.५ दिसम्बर ७३ में २६२. तथा जून ७४ में ३०५ सूचकांक तक पहुंचा है । क्या इस दर से वेतन में बढ़ोत्तरी हुई है ।

उत्पादन वृद्धि में कमी के कारण

अपेक्षित उत्पादन वृद्धि न होने का कौन सा कारण है? क्या मजदूरों की हड़तालें? इन हड़तालों से कितने प्रतिशत की हानि हुई है ? उत्पादन वृद्धि न होने का कारणसः

विश्लेषण सरकार क्यों नहीं प्रकाशित करती ? बिजली की कमी, कोयले की कमी, गैस की कमी, कच्चे माल की कमी, परिवहन की कमी, प्रबन्ध की खामियाँ तथा बन्धनकारी विदेशी शर्तों के कारण उत्पादन की जो हानि हो रही है—उसका प्रतिशत यदि एकत्रित किया जाय तथा इसमें ताला-बन्दी के कारण उत्पादन की कमी को भी जोड़ दिया जाय तो अधिकांश स्थानों पर हड़ताल और अन्य कारणों का अनुपात ५ तथा ९५ प्रतिशत तक का बैठेगा। आज तो मानो सरकार स्वयं हड़ताल पर जा चुकी है, श्रमिकों को हड़ताल करने की गुंजाइश ही नहीं है। देश के प्राय: प्रत्येक उद्योग में बैठकी, छटनी, ले आफ तथा बन्दी का दौर-दौरा चल रहा है। लाखों श्रमिक जबरिया छुट्टी पर भेज दिये गये हैं।

अनिवार्य जमा योजना विधेयक

उत्पादन वृद्धि के स्थान पर मुद्रा वृद्धि, उपभोक्ता सामग्री के स्थान पर विलासिता सामग्री तथा अब तो मूल्य जाम के स्थान पर वेतन जाम ही नहीं अपितु वेतन कटौती तक करने की सरकारी नीति चल रही है। १ करोड़ ८० लाख मजदूरों को प्रभावित करने वाला 'अनिवार्य जमा योजना विधेयक' पारित कर दिया गया है। ६ जुलाई ७४ के बाद का बढ़ा हुआ पूरा वेतन एवं अतिरिक्त महँगाई भत्ता तथा अतिरिक्त बोनस का ५० प्रतिशत सरकार जबरदस्ती ले लेगी तथा उस पर ११ प्रतिशत ब्याज देगी जबकि प्रति वर्ष ४५ प्रतिशत से १०० प्रतिशत तक वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे। सरकार मजदूरों के वेतन से ५०० करोड़ लेने को तैयार है, किन्तु चन्द लोगों के १२ हजार करोड़ काले धन को उज्ज्वल बनाने के लिये तत्पर नहीं है।

बड़े घरानों को बैंकों का धन

भारत के प्रमुख चौदह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय सरकार की सबसे बड़ी दलील यह थी कि 'बैंक केवल बड़े उद्योगपतियों को ही ऋण देते हैं' तथा उसका सबसे बड़ा आश्वासन यह था कि 'सरकारी नियंत्रण में चलने वाले बैंक गरीबों को, ऋणों की दृष्टि से वरीयता देंगे।' किन्तु श्री चह्वाण ने जुलाई, ७४ में राज्य सभा में बताया कि यह बिल्कुल सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों का अधिकांश ५ बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्राप्त हुआ है। ये बड़े प्रतिष्ठान टाटा, बिरला, मार्टिन बर्न, मफतलाल तथा बागड़ों द्वारा संचालित अथवा नियंत्रित हैं। जुलाई ७४ मास में इन बड़े घरानों की ३९३ कम्पनियों को १५७.२५ करोड़ रुपयों के ऋण मिल चुके थे, जबकि १० लाख ८२ हजार छोटे उद्योगों को कुल मिला कर ३६४.९२ करोड़ रुपये ही दिये गये थे।

काले धन और मुद्रा प्रसार पर रोक नहीं

अभी तक सरकार द्वारा उठाये गये कदमों एवं अध्यादेशों को मध्यम वर्ग, श्रमजीवी तथा जो ईमानदारी से कर अदा करने वाले लोग हैं, उन्हीं के लिये लागू किया गया है। किन्तु करापवंचन करने वाले एव काला धन कमाने वालों के लिये सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की है। नोटों के विमुद्रीकरण के बारे में सोचने के लिये भी वह तैयार नहीं दिखाई दे रही है। ५ दिसम्बर, १९७० को प्रस्तुत की गई बान्चू समिति की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसके साथ ही सरकार की मुद्रा आपूर्ति के तरीके भी बड़े भयानक रूप से सामने आये हैं। १९७१–७२ एवं १९७३–७४ के बीच जहाँ मुद्रा आपूर्ति में ४५ प्रतिशत की वृद्धि हुयी, राष्ट्रीय आय में मुश्किल से ६.४ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है।

तस्करों को छूट

दिनांक २२ अगस्त, ७४ को लोक सभा में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री के० आर० गणेश ने आखिर यह स्वीकार कर ही लिया कि भारत के पश्चिमी इलाकों में तीन करोड़पति तस्कर व्यापार के सम्राट तस्कर जैसे जघन्य व्यापार का संचालन कर रहे हैं। उच्च वर्गीय समाज में इनकी आमदरफ्त है, प्रभावशाली एवं सत्ताधारी नेता इनके दोस्त हैं और इनका आतिथ्य ग्रहण करते हैं। इन लोगों के पास इनके नाम से तथा बेनामी भारी आर्थिक सम्पत्ति है। इसके साथ ही श्री गणेश ने यह भी कहा कि कानून के फंदे में इनको फाँसा नहीं जा सकता। आखिर क्यों है–इस सरकार की मजबूरी ? निर्दोष व निरीह हजारों छात्रों, मजदूरों, नागरिकों तथा राजनैतिक नेताओं को मीसा तथा डी० आई० आर० के अन्तर्गत यह सरकार बन्द करके जेलों में सड़ा सकती है, किन्तु प्रति वर्ष लगभग एक हजार करोड़ रुपयों से अधिक कीमत की तस्करी माल लाने वालों को यह सरकार क्यों नहीं पकड़ सकती है ? २७ वर्षों तक इन तस्करों को छूट देने के उपरान्त दिनांक १७ सितम्बर, ७४ को पहली बार तस्करों के विरुद्ध अध्यादेश जारी किया गया तथा पकड़-धकड़ प्रारम्भ की गई है। किन्तु इस सरकार का अब तक तस्करों के प्रति जो दया भाव रहा है, उसका इनके धन से जो अब तक का लगाव रहा है, संदेह की पूरी गुन्जाइश है कि यह अभियान दिखावटी ही है, क्योंकि जिन आफिसरों व राजनीतिज्ञों के संरक्षण में यह तस्करी २७ वर्षों से चल रही है, उनमें से एक के भी विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही सरकार ने नहीं किया।

विदेशों के कर्ज

विदेशों से हमने इस प्रकार ऋण लिये हैं— १९६५–६६ में २५९० करोड़,

१९६९–७० में ६१४० करोड़, १९७०–७१ में ६६५९ करोड़ तथा १९७३–७४ में ७३५२ करोड़ रुपयों के ऋण हैं, जिनका ब्याज मात्र प्रति वर्ष सैकड़ों करोड़ में चुकता करना पड़ता है।

आम जनता पर टैक्स

इस वर्ष के बजट भी गरीब जनता को निचोड़ने हेतु पर्याप्त सशक्त होकर सामने उपस्थित हुये हैं। मूल बजट से अधिक के पूरक बजट पारित किये गये हैं। न केवल आम बजट अपितु रेलवे बजट भी ७ मास की अवधि के भीतर बड़े आकार में उपस्थित हुये हैं। २१२ करोड़ का मूल बजट किन्तु पूरक के रूप में २३२ करोड़ के और टैक्स लगाने की आवश्यकता वित्त मंत्री को हुई है. उसी प्रकार १३६ करोड़ की रेल मंत्री ने रेल बजट बनाई किन्तु पूरक के रूप में १४० करोड़ का गरीब जनता पर उन्होंने और टैक्स बढ़ा दिया है।

विषमता को बढ़ावा

देश की पूंजी का निजी स्वामित्व ६० हजार करोड़ रुपये है और देश के ७५ घरानों की कुल पूंजी ३२ हजार ४० करोड़ रुपये है। देश की २७ करोड़ जनता को दोनों जून भोजन नहीं मिल रहा है। मँहगाई, टैक्स, कालाधन, मुद्रा प्रसार, तस्करी, जमाखोरी, पूंजीपतियों को संरक्षण, श्रमिकों के लिये अनिवार्य जमा योजना विधेयक, मंत्रियों के बड़े-बड़े घोटाले आदि अनेक जटिल समस्यायें हैं। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुये सरकारी दल ने वोटों का जुगाड़ करने के लिये समाजवाद और बराबरी के एक से एक आकर्षक नारे लगाये हैं लेकिन व्यवहार में अपनी नीतियों से वह न केवल निरन्तर विषमताओं की हिफाजत करता रहा है वरन् उन्हें बढ़ाता भी रहा है। इन पिछले २७ वर्षों में गरीब लगातार और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया है।

भोजन व रोजगार दुर्लभ

हमारे आर्थिक आयोजन में भी सत्ताधारी राजनीतिज्ञ, अफसरशाह और पूंजीशाह फलते-फूलते गये हैं। इन योजनाओं से एक ओर देश के इन तीन शक्ति-नियंत्रक समूहों में, विकसित पश्चिमी देशों के ऐश्वर्यपूर्ण रहन-सहन, भाषा और भूषा के नकल की लालसा जागती रही है और दूसरी ओर वे सभी देशवासियों के लिये भोजन तथा रोजगार जैसी जरूरतें मुहैय्या कराने में भी विफल रही हैं। देश को आजादी तो मिली, पर उसके भोग का अधिकार राजनेताओं, पूंजीपतियों और नौकरशाहों ने अपने लिये सुरक्षित कर लिया। जो गद्दी पर बैठा, उसने उसे अपनी जागीर समझा।

इन सभी दुर्गम, दुरूह समस्याओं का निराकरण देश की ९० प्रतिशत गरीब जनता को अपने बल-बूते ही करने हैं। चाहे वह आज करे अथवा कल।

• प्रकाशक : भारतीय मजदूर संघ उ० प्र०, २, नवीन मार्केट, कानपुर।

• मुद्रक : टिप-टाप प्रिन्टर्स, कानपुर–१

• मूल्य : १५ पैसे